कार्यालय, अध्यक्ष, उपसमिति अवस्थापना प्रकोष्ठ, जनपद न्यायालय, रामपुर।

दिनांकः 06.03.2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय रामपुर परिसर में जर्जर भवनों/ढांचो की नीलामी दिनांक 07.03.2025 को नियत थी जो कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। अग्रिम नीलामी दिनांक 17.03.2025 को पुनः नियत की जाती है। पूर्व शर्तें यथावत रहेंगी।

06.03.2025

(पी०एन०पाण्डेय)
अध्यक्ष,
उपसमिति अवस्थापना प्रकोष्ठ/
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act),
रामपुर।

कार्यालय, अध्यक्ष, उपसमिति अवस्थापना प्रकोष्ठ, जनपद न्यायालय, रामपुर।

दिनांकः 01.03.2025

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय रामपुर परिसर में जर्जर भवनों/ढांचो को तोडकर उनके स्थान पर नवीन बारह कक्षीय न्यायालय भवन की स्थापना की जानी है। इस सूचना के माध्यम से "जहां है जैसे है" के आधार पर उक्त भवनों का तोड़कर स्क्रैप उठाने हेतु बोलियां आमन्त्रित की जाती है। स्क्रैप की नीलामी के सम्बन्ध में शर्ते निम्नवत है।

1. बोलीदाता के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड व जी०एस०टी० प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
2. दिनांक 07.03.2025 को जनपद न्यायालय रामपुर के सभागार कक्ष में अपराह्न 01:30 बजे नीलामी प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।
3. अधिकतम बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी घोषित की जायेगी।
4. बोलीदाता को अविलम्ब/अधिकतम 15 दिन के अंदर स्क्रैप को स्थल से हटाना होगा।
5. भवनों के ध्वस्तीकरण में आने वाले व्यय का बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।
6. बोलीदाता के पक्ष में बोली छूटने के समय ही बोलीदाता को बोली की 25% धनराशि नकद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, रामपुर में जमा करानी होगी व शेष 75% धनराशि एक माह के भीतर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, रामपुर में जमा करानी होगी।
7. स्क्रैप/मलबे का स्थल से उठाने/निस्तारण करने के व्यय का वहन बोलीदाता द्वारा ही किया जायेगा।
8. बोली लगाने के समय बोलीदाताओं को 20,000/- रुपये की धनराशि जमा करानी आवश्यक है जो रिफंडेबल/प्रत्यर्पणीय होगी।
9. बोलीदाता को भवन के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं को ही ले जाने का अधिकार होगा जैसे ईट, सरिया, मलबा, पुरानी बिजली फिटिंग, खिड़की, दरवाजे इत्यादि परन्तु बल्ब, पंखे, एक्जोस्ट फेन व अन्य फिक्सचर जैसे लोहे के रैक, फर्नीचर आदि पर बोलीदाता को कोई अधिकार नहीं होगा।

भवनों के स्क्रैप व नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में न्यायालय प्रबन्धक, जनपद न्यायालय, रामपुर से किसी भी कार्य दिवस (10:00 AM-05:00 PM) में सम्पर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

01-03-2025

(पी०एन०पाण्डेय)
अध्यक्ष,
उपसमिति अवस्थापना प्रकोष्ठ/
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act),
रामपुर।